कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

Phone/Fax No.07856-252206, email ID - itdpdwd@gmail.com

क्रमांक / 368 / परि0प्रशा0 / स्था0 / भर्ती / 2016–17, दन्तेवाड़ा, दिनांक 20 / 12 / 2017,

–: विज्ञापन :–

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक / एफ–17–58 / 2014 / 25–2 रायपुर, दिनांक 13.12.2016 एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक नं.4 डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक / टीएडीपी / फा–536 / 2016 / 9994, रायपुर, दिनांक 06.01.2017 के द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संविदा नियुक्ति के आधार पर परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, दंतेवाड़ा के लिए निम्नानुसार विज्ञापित पदों पर संविदा नियुक्ति किये जानें हेतु दिनांक 25.02.2017 तथा द्वितीय विज्ञापन अनुसार दिनांक 14.07.2017 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे, प्राप्त आवेदन–पत्रों में निम्न पदों हेतु पात्र अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत नही किये जानें के कारण नीचे दर्शित पद एवं उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणानुसार संविदा भर्ती संबंधी योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी इच्छुक अभ्यार्थियों से दिनांक 15 / 01 / 2018 तक कार्यालयीन समयावधि तक सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण–पत्र सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	मासिक संविदा वेतन (एकमुश्त)	आरक्षण की स्थिति	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	उप अभियंता	01	18,900 / – एकमुश्त	अनारक्षित (मुक्त)–01, कुल पद–01	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

<u>संविदा नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्ते :–</u>

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है दर्शित पद के लिए दन्तेवाड़ा जिला के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी, तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
2. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसनें विवाह के लिए नियत की गई आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
4. कोई भी अभ्यार्थी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा एवं नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में नियुक्ति के लिए अनर्हताए भी लागू होगी।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पांच–पांच रूपये का डाक टिकिट लगाकर 2 खाली लिफाफा स्वयं का पता लिखकर संलग्न करना होगा।
6. आरक्षित वर्ग के आवेदक को जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. शासकीय / अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
8. आवेदक के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर.......2.....पर

9. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नही दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। (आवेदन का प्रारूप www.dantewada.gov.in पर उपलब्ध है) निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त नही होनें पर उसे अमान्य किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप इस कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय सहायक आयुक्त, आदि.विकास, दंतेवाड़ा व कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकी.आदि.विकास परियोजना, दंतेवाड़ा के सूचना पटल पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

11. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

12. चयन उपरांत यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त की जावेगी।

13. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होंगे।

14. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एक मुश्त राशि वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्वि की पात्रता नही होगी।

15. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

16. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलो को छोड़कर संविदा नियुक्त के अन्य मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएं तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसे की छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है।

17. सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अर्हताएं वही होगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है।

18. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता बंधन नही होगा।

19. संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

20. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग अभ्यार्थी प्राप्त नही होनें पर उसी प्रवर्ग के अभ्यार्थी से पद भरे जा सकेंगे।

21. उम्मीदवार की आयु **01.01.2018** की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम एवं सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए आयु सीमा अधिकतम 64 वर्ष होगी।

22. सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का एच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जायेगा, गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जायेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।

23. सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी।

24. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हे अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हे संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।

25. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार के सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है। परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगी।

निरंतर......4.....पर

26. संविदा पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्त के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा छ.ग. मूलभूत नियम के नियम 45–क, के अनुसार लाईसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समानय चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।

27. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा। यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मुल्यांकन हो सके।

टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।

आवेदन के संबंध में दिशा–निर्देश

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंकसूचियों की राजपत्रित अधिकारी/स्वप्रमाणित द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित प्रस्तुत किये जा सकेंगें। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्व किया जावे एवं पृष्ठ क्रमांक भी डाले। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम से ही व्यवस्थित कर (1.आवेदन पत्र 2.निवास प्रमाण–पत्र 3.रोजगार पंजीयन प्रमाण–पत्र 4. जाति प्रमाण–पत्र 5.शैक्षणिक योग्यता 6.अन्य प्रमाण–पत्र 7.लिफाफा) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 15/01/2018 को संध्या 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर जमा किये जा सकते हैं। दावा आपत्ति हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31/01/2018 तक होगी।**

आवेदन जमा करनें हेतु पता :–

कार्यालय परियोजना प्रशासक,
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, दंतेवाड़ा,
जिला दक्षिण बस्तर, (छ0ग0) पिन कोड–494449,

परियोजना प्रशासक,
कृते, कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर,दंतेवाड़ा

पृ.क्र./ 368(A)/परि0प्रशा0/स्था0/भर्ती/2016–17, दन्तेवाड़ा, दिनांक 20/12/2017,

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) जिरो पाईन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. आयुक्त, आ.जा.तथा अ.ज.जा.विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर।

    को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा।
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, दंतेवाड़ा।

    को जारी विज्ञापन की एक–एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचना पटल पर चस्पा किये जानें हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7. सहायक संचालक, जन जम्पर्क विभाग, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को सूचनार्थ। आप कृपया उक्त जारी विज्ञापन को 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करानें का कष्ट करें।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा को सूचनार्थ। कृपया उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाईट www.dantewada.gov.in में अपलोड करनें का कष्ट करें।
9. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

परियोजना प्रशासक,
कृते, कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर,दंतेवाड़ा